प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2022

माननीय वित्त मंत्री, **श्री जगदीश देवडा** नें आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

- **"आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश"**-बजट 2022-23 को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार की गई है।
- **"जनता का बजट"-** बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
- वर्ष 2022-23 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
  - कुल विनियोग की राशि ₹2,79,237 करोड़ एवं कुल शुद्ध व्यय ₹2,47,715 करोड़ का प्रावधान
  - राजस्व घाटा ₹3,736 करोड़
  - सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.56% अनुमानित
  - अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹1,95,180 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹72,860 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹64,107 करोड़, करेत्तर राजस्व ₹13,618 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹44,595 करोड़ शामिल
  - वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 13% की वृद्धि अनुमानित
  - वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में 12% की वृद्धि अनुमानित
  - वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 20.7% की वृद्धि अनुमानित
  - वर्ष 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% अनुमानित
  - वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का -0.32%
  - वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 11.4%

बजट के मुख्य बिन्दु

- अनुसूचित जनजाति (सब स्कीम) हेतु ₹26,941 करोड़
- अनुसूचित जाति (सब स्कीम) हेतु ₹19,020 करोड़
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹10345 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹10000 करोड़ का प्रावधान
- जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹6300 करोड़ का प्रावधान
- माध्यमिक शालायें हेतु ₹6212 करोड़ का प्रावधान

- 15वें वित्त आयोग के अनुसार विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु ₹5850 करोड़ का प्रावधान
- अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹4592 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹4822 करोड़ का प्रावधान
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹3908 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
- प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
- प्राथमिक शालाएं हेतु ₹3383 करोड़ का प्रावधान
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3300 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹3200 करोड़ का प्रावधान
- शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹3160 करोड़ का प्रावधान
- १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹3050 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹2930 करोड़ का प्रावधान
- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु ₹2500 करोड़ का प्रावधान
- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2109 करोड़ का प्रावधान
- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु ₹2038 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2000 करोड़ का प्रावधान
- स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹1906 करोड़ का प्रावधान
- माध्यमिक शालाएं हेतु ₹1898 करोड़ का प्रावधान
- बांध तथा संलग्र कार्य हेतु ₹1831 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹1816 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
- हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
- निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹1450 करोड़ का प्रावधान
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1272 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹1237 करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹1192 करोड़ का प्रावधान
- जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1180 करोड़ का प्रावधान

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान
- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु ₹1074 करोड़ का प्रावधान
- १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹1034 करोड़ का प्रावधान
- सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान

विभागवार विस्तृत आंकडे निम्नानुसार हैः-

सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सचिवालय हेतु ₹239 करोड़ का प्रावधान
	स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय हेतु ₹221 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य मंत्री वैवेकिक अनुदान हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
गृह विभाग	सामान्य व्यय (जिला स्थापना) हेतु ₹4875 करोड़ का प्रावधान
	सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) हेतु ₹1615 करोड़ का प्रावधान
	आव्हान पर होने वाला व्यय हेतु ₹386 करोड़ का प्रावधान
	अपराध अनुसंधान विभाग हेतु ₹316 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु ₹313 करोड़ का प्रावधान
	वेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर हेतु ₹213 करोड़ का प्रावधान
	पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हेतु ₹211 करोड़ का प्रावधान
	पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस - पश्चिम विभाग) हेतु ₹157 करोड़ का प्रावधान
	केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र हेतु ₹157 करोड़ का प्रावधान
	अभियोजन संचालनालय हेतु ₹107 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
जेल विभाग	केन्द्रीय तथा जिला जेलें हेतु ₹451 करोड़ का प्रावधान
वाणिज्यिक कर विभाग	पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹335 करोड़ का प्रावधान
	जिला स्थापना हेतु ₹231 करोड़ का प्रावधान
	जिला कार्यपालिक स्थापना हेतु ₹176 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. नगरीय. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
राजस्व तिभाग	आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु ₹2038 करोड़ का प्रावधान
	जिला खर्च हेतु ₹1068 करोड़ का प्रावधान
	आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु ₹995 करोड़ का प्रावधान
	आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.)) हेतु ₹995 करोड़ का प्रावधान
	राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु ₹653 करोड़ का प्रावधान
	बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान
	उप संभागीय स्थापना हेतु ₹433 करोड़ का प्रावधान
	जिला स्थापना हेतु ₹371 करोड़ का प्रावधान
	महामारी/रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों पर व्यय हेतु ₹263 करोड़ का प्रावधान
	तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु ₹251 करोड़ का प्रावधान
	१५वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
	भू-प्रबंधन हेतु ₹170 करोड़ का प्रावधान

	आदेशिका वाहक स्थापना हेतु ₹139 करोड़ का प्रावधान
	पुन: स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
	सर्पदंश पर आर्थिक सहायता हेतु ₹105 करोड़ का प्रावधान
खेल एवं युवक कल्याण विभाग	खेलो इंडिया हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
वन विभाग	कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना हेतु ₹1257 करोड़ का प्रावधान
	केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु ₹640 करोड़ का प्रावधान
	प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान
	कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन - संरक्षण समूह हेतु ₹402 करोड़ का प्रावधान
	कैम्पा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ₹180 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हेतु ₹146 करोड़ का प्रावधान
	इमारती लकड़ी का उत्पादन हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹1450 करोड़ का प्रावधान
	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास हेतु ₹480 करोड़ का प्रावधान
	भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्र्केशन, सर्विस चार्ज हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
खनिज साधन विभाग	खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण हेतु ₹700 करोड़ का प्रावधान
	जिला माइनिंग फण्ड हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा विभाग	15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु ₹5850 करोड़ का प्रावधान
	अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3300 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2726 करोड़ का प्रावधान
	रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु ₹2500 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	टैरिफ अनुदान हेतु ₹375 करोड़ का प्रावधान
	उप पारेेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹360 करोड़ का प्रावधान
	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹328 करोड़ का प्रावधान
	स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु अंशपूंजी हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
	स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹4592 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹3200 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2096 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2000 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
	अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) हेतु ₹572 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु ₹407 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹302 करोड़ का प्रावधान
सहकारिता विभाग	सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
श्रम विभाग	मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान

	कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु ₹255 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
	जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1180 करोड़ का प्रावधान
	स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु ₹1033 करोड़ का प्रावधान
	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु ₹923 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु ₹833 करोड़ का प्रावधान
	उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹460 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु ₹283 करोड़ का प्रावधान
	शीत ज्वर हेतु ₹201 करोड़ का प्रावधान
	सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु ₹190 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹163 करोड़ का प्रावधान
	अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण हेतु ₹114 करोड़ का प्रावधान
	आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी. हितग्राही) हेतु ₹102 करोड़ का प्रावधान
	निदेशन और प्रशासन हेतु ₹102 करोड़ का प्रावधान
	प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन हेतु ₹101 करोड़ का प्रावधान
	कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
	स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुदढिकरण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
	हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
	१५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹1034 करोड़ का प्रावधान
	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/ब्याज का प्रतिसंदाय हेतु ₹650 करोड़ का प्रावधान
	वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹554 करोड़ का प्रावधान
	स्मार्ट सिटी हेतु ₹525 करोड़ का प्रावधान
	धनवेष्ठन / निवेश हेतु ₹525 करोड़ का प्रावधान
	मेट्रो रेल हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	१५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शेहरों को अनुदान हेतु ₹468 करोड़ का प्रावधान
	एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु ₹460 करोड़ का प्रावधान
	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु ₹408 करोड़ का प्रावधान
	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹297 करोड़ का प्रावधान
	नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान

	नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	स्वच्छ भारत अभियान हेतु ₹175 करोड़ का प्रावधान
	नगरीय निकायों को समेकित अनुदान हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान
	एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (केएफ डब्ल्यू) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
	मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
लोक निर्माण विभाग	अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु ₹963 करोड़ का प्रावधान
	मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु ₹905 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण सड़कों का निर्माण हेतु ₹861 करोड़ का प्रावधान
	केन्द्रीय सड़क निधि हेतु ₹800 करोड़ का प्रावधान
	एन्यूटी हेतु ₹730 करोड़ का प्रावधान
	एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु ₹515 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	संभागीय कार्यालय स्थापना हेतु ₹287 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित) हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
	भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु ₹247 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) हेतु ₹180 करोड़ का प्रावधान
	सुदृढ़ीकरण हेतु ₹175 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य जिला मार्गो का उन्नयन हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
	एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
	वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
स्कूल शिक्षा विभाग	सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹10345 करोड़ का प्रावधान
	माध्यमिक शालायें हेतु ₹6212 करोड़ का प्रावधान
	समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹3908 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹3160 करोड़ का प्रावधान
	सी. एम. राइज हेतु ₹855 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹457 करोड़ का प्रावधान
	आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
	अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान
	पंचायती राज संस्थाओ के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु ₹310 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु ₹253 करोड़ का प्रावधान
	अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु ₹166 करोड़ का प्रावधान
	नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु ₹109 करोड़ का प्रावधान
	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु हेतु

	₹100 करोड़ का प्रावधान
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	सामान्य स्थापना हेतु ₹1101 करोड़ का प्रावधान
	उच्च न्यायालय (भारित) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	न्यायालय भवनों का निर्माण हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
पंचायत विभाग	१५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹3050 करोड़ का प्रावधान
	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹1906 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु ₹597 करोड़ का प्रावधान
	पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार हेतु ₹228 करोड़ का प्रावधान
	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	सचिवीय व्यवस्था हेतु ₹176 करोड़ का प्रावधान
	ग्राम स्वराज अभियान हेतु ₹170 करोड़ का प्रावधान
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹427 करोड़ का प्रावधान
जन संपर्क विभाग	प्रिन्ट मीडिया हेतु ₹160 करोड़ का प्रावधान
	विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
	इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार हेतु ₹99 करोड़ का प्रावधान
जनजातीय कार्य विभाग	प्राथमिक शालाएं हेतु ₹3383 करोड़ का प्रावधान
	माध्यमिक शालाएं हेतु ₹1898 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹939 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु ₹454 करोड़ का प्रावधान
	सीनियर छात्रावास हेतु ₹410 करोड़ का प्रावधान
	11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹355 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु ₹312 करोड़ का प्रावधान
	आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु ₹311 करोड़ का प्रावधान
	सी. एम. राइज हेतु ₹303 करोड़ का प्रावधान
	पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	आश्रम हेतु ₹207 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹203 करोड़ का प्रावधान
	एकीकृत छात्रावास योजना हेतु ₹180 करोड़ का प्रावधान
	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु ₹127 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
	जूनियर छात्रावास हेतु ₹112 करोड़ का प्रावधान
	जिला प्रशासन हेतु ₹104 करोड़ का प्रावधान
	विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹1816 करोड़ का प्रावधान
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु ₹392 करोड़ का प्रावधान
नर्मदा घाटी विकास विभाग	सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान

	बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु ₹339 करोड़ का प्रावधान
	नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च हेतु ₹183 करोड़ का प्रावधान
	ओंकारेश्वर परियोजना हेतु ₹167 करोड़ का प्रावधान
	काली सिंध लिंक परियोजना हेतु ₹152 करोड़ का प्रावधान
	नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
	भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान
	निष्पादन स्थापना (यूनिट- एक एवं यूनिट-दो) हेतु ₹111 करोड़ का प्रावधान
	छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना हेतु ₹105 करोड़ का प्रावधान
	नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना हेतु ₹102 करोड़ का प्रावधान
	जावर उद्वहन सिंचाई योजना हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
	बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹515 करोड़ का प्रावधान
	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
	गोदामों का निर्माण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
संस्कृति विभाग	वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु ₹370 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन विभाग	बांध तथा संलग्न कार्य हेतु ₹1831 करोड़ का प्रावधान
	नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु ₹1074 करोड़ का प्रावधान
	सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	कार्यपालिक स्थापना हेतु ₹439 करोड़ का प्रावधान
	लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं हेतु ₹311 करोड़ का प्रावधान
	बांध तथा नहरें हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
	नहरें तथा तालाब हेतु ₹174 करोड़ का प्रावधान
	अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य हेतु ₹168 करोड़ का प्रावधान
	लघु सिंचाई योजना हेतु ₹155 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यालय स्थापना यूनिट - एक हेतु ₹108 करोड़ का प्रावधान
पर्यटन विभाग	पर्यटन अधोसंरचना का विकास हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹6300 करोड़ का प्रावधान
	प्रशासन हेतु ₹507 करोड़ का प्रावधान
	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु ₹465 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु ₹401 करोड़ का प्रावधान
	सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु ₹195 करोड़ का प्रावधान
	समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
	नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान
पशुपालन एवं डेयरी विभाग	गहन पशु विकास परियोजना हेतु ₹720 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
	चलित पशु कल्याण सेवायें हेतु ₹142 करोड़ का प्रावधान
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान

उच्च शिक्षा विभाग	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2109 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु ₹474 करोड़ का प्रावधान
	अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु ₹220 करोड़ का प्रावधान
	अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु ₹124 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु ₹453 करोड़ का प्रावधान
	ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु ₹263 करोड़ का प्रावधान
	पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु ₹226 करोड़ का प्रावधान
	स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु ₹122 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु ₹118 करोड़ का प्रावधान
विमानन विभाग	नये जेट विमान का क्रय हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु ₹117 करोड़ का प्रावधान
महिला एवं बाल विकास विभाग	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1272 करोड़ का प्रावधान
	आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹1192 करोड़ का प्रावधान
	लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹922 करोड़ का प्रावधान
	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु ₹870 करोड़ का प्रावधान
	लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि (ब्याज भुगतान) हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम व्ही वाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य) हेतु ₹325 करोड़ का प्रावधान
	पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹185 करोड़ का प्रावधान
	महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु ₹149 करोड़ का प्रावधान
	आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु ₹111 करोड़ का प्रावधान
चिकित्सा शिक्षा विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹1237 करोड़ का प्रावधान
	रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹370 करोड़ का प्रावधान
	नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु ₹109 करोड़ का प्रावधान
	छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्खयक कल्याण विभाग	11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹645 करोड़ का प्रावधान
	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु ₹207 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्याल व अन्य) हेतु ₹378 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु ₹289 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु ₹111 करोड़ का प्रावधान
	विविध छात्रवृत्तियां हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹10000 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹2930 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹865 करोड़ का प्रावधान

	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु ₹801 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु ₹800 करोड़ का प्रावधान
	निर्मल भारत अभियान हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित) हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु ₹390 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु ₹210 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु ₹205 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	विकास खण्ड कार्यालय हेतु ₹175 करोड़ का प्रावधान
	नेशनल रूरल इकोनामिक ट्रान्सफारमेशन प्रोजेक्ट- (एन.आर.ई.टी.पी.) हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रों इरिगेशन योजना हेतु ₹160 करोड़ का प्रावधान
	संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु ₹116 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
	पौध शाला उद्यान हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
आयुष विभाग	आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु ₹246 करोड़ का प्रावधान
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु ₹289 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग	म.प्र. राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान

राजकोषीय संकेतक - चल लक्ष्य (Rolling Targets)

राजकोषीय संकेतक (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत में)	लेखा	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान	आगामी 3 वर्षों के निर्धारित लक्ष्य		
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व आधिक्य / घाटा	-2.00	-0.55	-0.32	आधिक्य	आधिक्य	आधिक्य
राजकोषीय घाटा	5.44	4.18	4.56	3.50	3.49	3.00
कुल बकाया दायित्व	27.58	28.53	30.18	30.44	30.67	30.38